भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील सं. 593/2021
[2018 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 1605 से उत्पन्न]

इंद्रा देवी ... अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य ... प्रतिवादी

साथ

आपराधिक अपील सं. 594/2021
[2021 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5015 से उत्पन्न
डी.सं. 2019 का 7196]

राजस्थान राज्य ... अपीलार्थी

बनाम

योगेश आचार्य ....प्रतिवादी

निर्णय

संजय किशन कौल, जे.

1. इंद्रा देवी, अपीलकर्ता, पीएस कोतवाली, जिला–बाड़मेर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471/120 बी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के धारा 3(1)(4), 3(15), 3(5) के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 80 दिनांक 23.02.2011 में शिकायतकर्ता हैं। ऐसा आरोप था कि उन्होंने और उनके पति भंवर लाल ने बाड़मेर जिले के खसरा

नंबर 1179/03 में दो प्लॉट खरीदे। इन दो भूखंडों में से एक भूखंड मेघाराम को बेचा गया जबकि दूसरा भूखंड चेतन चौधरी को बेचा गया। पति के नाम से खरीदे गए प्लॉट में आवासीय मकान व हॉपर बनाना बताया गया है। मेघाराम पर धोखाधड़ी करने के इरादे से समझौते में हेरफेर करने और उसे गढ़ने का आरोप है। यह कथित तौर पर नगर पालिका के तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी, सुरेंद्र कुमार माथुर और "संबंधित क्लर्क और अन्य" के साथ साजिश के आयामों को बढ़ाकर किया गया था, जिसे शिकायतकर्ता और उसके पति के कब्जे वाली जमीन और मकान को हड़पने के इरादे से उसे बेच दिया गया है। खसरा नंबर भी 1179/03 से बदलकर 1143/04 करने का आरोप है। यह तथ्य शिकायतकर्ता के संज्ञान में तभी आया जब उन्हें मकान और दुकान के साथ प्लॉट के भौतिक कब्जे में होने पर अदालती नोटिस दिया गया। बताया जाता है कि उसका पति कैंसर का इलाज कराने जयपुर गया था। इस प्रकार, आरोपी व्यक्तियों पर अनुसूचित जाति की महिला, उसके कैंसर निदान पति और परिवार के अन्य सदस्यों को बेघर करने का अपराध करने का आरोप लगाया गया है। यह ध्यान दिया जाने योग्य है कि यहां प्रतिवादी नंबर 2, योगेश आचार्य का नाम प्राथमिकी में नहीं था, लेकिन जाहिर तौर पर, उन्हें "संबंधित क्लर्क" बताया गया है।

2. जांच के अनुसरण में, मेघाराम के विरुद्ध दिनांक 10.04.2012 के आदेश के तहत आरोप पत्र दायर किया गया और आरोप तय किए गए। एक बार फिर चार्जशीट में प्रतिवादी नंबर 2 का नाम नहीं था, लेकिन मेघाराम को "सह–आरोपी व्यक्तियों" के साथ मिलकर काम करने का संदर्भ दिया गया था।

3. हमारे सामने रखे गए रिकॉर्ड यह नहीं दर्शाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 को कैसे ठीक से फंसाया गया था, लेकिन यह कहना पर्याप्त होगा कि प्रतिवादी संख्या 2 ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 197 के तहत एक आवेदन दिया था जिसमें कहा गया था कि वह एक लोक सेवक था और जो उसने पट्टे के आवंटन के संबंध में किया, जो मेघाराम के पक्ष में निष्पादित किया गया था, वह उसके आधिकारिक कर्तव्य के दौरान किया गया था और इस प्रकार वह उपरोक्त प्रावधान के तहत सुरक्षा का हकदार था। उन्होंने चार्जशीट को चुनौती देने की भी मांग की क्योंकि यह सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना दायर की गई थी।

4. ट्रायल कोर्ट ने दिनांक 10.08.2017 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि प्राथमिकी में प्रतिवादी संख्या 2 का उल्लेख नहीं किया गया था। यह माना गया कि सक्षम अधिकारियों के ज्ञान में अनियमितताओं को लाने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 का कर्तव्य था, यानी मेघाराम ने पट्टे में गलत खसरा संख्या का उल्लेख किया था लेकिन जमीन के स्वामित्व का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया था। ट्रायल कोर्ट का विचार था कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सक्षम अधिकारियों के ज्ञान में विसंगतियों को लाया गया होता, तो विवादित पट्टा जारी नहीं किया गया होता। ऐसा करने में विफलता का परिणाम जाली पट्टा तैयार करने का कारण बना। प्रतिवादी संख्या 2 ने विवादित पट्टे का मसौदा भी तैयार किया था जिसमें वह आवश्यक विवरणों का उल्लेख करने में विफल रहा। इस प्रकार, यह राय थी कि प्रतिवादी संख्या 2 जाली पट्टा प्राप्त करने के लिए आपराधिक अपराध करने के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी था। प्रतिवादी संख्या 2 ने जो किया वह लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं किया जाना था और इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सुरक्षा उसकी सहायता के लिए नहीं आएगी।

5. इसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 ने निचली अदालत के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आपराधिक विविध याचिका संख्या 3138/2017 दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.10.2017 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिका को स्वीकार कर लिया। यह माना गया कि मामला देवी दान बनाम राजस्थान राज्य के मामले के समान था। उच्च न्यायालय ने उसमें राय दी थी कि स्टेशन हाउस अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने / दर्ज करने में विफल रहने और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए अन्य आपराधिक कृत्यों के लिए मुकदमा चलाने से पहले सीआरपीसी की धारा 197 के तहत स्वीकृति आवश्यक थी। उक्त निर्णय से व्यथित परिवादी ने विशेष अनुमति याचिका दायर कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने एसएलपी भी दाखिल की है। दोनों मामलों में अनुमति प्रदान की गई।

6. अपीलकर्ता ने हमारे सामने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 की संलिप्तता केवल जांच के दौरान सामने आई। वह अपने वरिष्ठों के ज्ञान में अनियमितताओं को लाने में विफल रहे थे जो जाली पट्टा जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस प्रकार, उसने अपने वरिष्ठों के साथ बेईमानी से जालसाजी को छिपाने की साजिश रची थी, और जानबूझकर आदेश पत्रक पर कार्यवाही की तारीख का उल्लेख नहीं किया था।

जाली दस्तावेजों की ऐसी कार्रवाई को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किया गया कृत्य नहीं माना जाएगा और इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 197 प्रतिवादी संख्या 2 को सुरक्षा नहीं देगी।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2 ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले का समर्थन करने का प्रयास किया, जिसमें जोर दिया गया कि प्राथमिकी में केवल मेघाराम के साथ कुछ अज्ञात अधिकारियों का उल्लेख किया गया था। नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार माथुर ने उसी लेनदेन से संबंधित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय ने 22.02.2018 के आदेश के तहत सीआरपीसी की धारा 197 के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। आद्याक्षर करने के आचरण को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया कार्य माना गया। इसी तरह, संदीप माथुर, एक जूनियर इंजीनियर, जो उसी लेन–देन का हिस्सा था, को सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2020 के आदेश द्वारा एक बार फिर उसी प्रावधान, यानी सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई थी। शिकायतकर्ता और राज्य द्वारा दोनों आदेशों को चुनौती नहीं दी गई। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 केवल अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहा था जो उसे आवंटित कार्य से स्पष्ट है जो कि आवंटन, नियमितीकरण, कृषि भूमि के रूपांतरण और भूमि और रूपांतरण से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों से संबंधित है। मेघाराम के आवेदन को कार्यालय के माध्यम से भेजा गया था, और कार्यवाही से पता चलता है कि फ़ाइल शुरू में कार्यकारी अधिकारी के समक्ष रखी गई थी, जिसने निरीक्षण का निर्देश दिया था, जिसे कनिष्ठ अभियंता द्वारा किया गया था। इसके बाद दोबारा फाइल कार्यकारी अधिकारी के समक्ष रखी गई और उसके बाद ही नगर आयुक्त ने उस पर हस्ताक्षर किए। इस प्रक्रिया में शामिल दो प्रमुख लोगों को पहले ही सुरक्षा प्रदान कर दी गई थी और इस प्रकार यहाँ प्रतिवादी संख्या 2, जो केवल एक अवर श्रेणी लिपिक था, को समान सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता था।

8. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के बी. साहा एवं अन्य बनाम एम.एस. कोचर और महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. बुधिकोटा सुब्बाराव के निर्णयों पर भरोसा किया कि सीआरपीसी की धारा 197 को लोक सेवक को कार्यों के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक उदार अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए, जो हालांकि एक अपराध है, "सीधे और उचित रूप से" उनके आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार किया है। सीआरपीसी की धारा 197 एक अधिकारी को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करती है, जिस पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने के लिए किए गए अपराध का आरोप लगाया गया है और, इस प्रकार अदालत को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसे अपराध का संज्ञान लेने से रोकता है। लोक सेवकों को दुर्भावनापूर्ण या तंग करने वाले अभियोजन से बचाने के लिए उन्हें एक विशेष श्रेणी के रूप में माना गया है। साथ ही, ढाल भ्रष्ट अधिकारियों की रक्षा नहीं कर सकती है और प्रावधानों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए जिससे कि ईमानदारी, न्याय और सुशासन को आगे बढ़ाया जा सके। [देखें सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह]। धोखाधड़ी, रिकॉर्ड के जालसाजी या हेराफेरी में अधिकारियों की कथित संलिप्तता को उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, इस तरह की मंजूरी आवश्यक है यदि लोक सेवक के खिलाफ कथित अपराध उसके द्वारा "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने या कार्य करने के उद्देश्य से" किया जाता है और यह पता लगाने के लिए कि क्या कथित अपराध "अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने के लिए तात्पर्यित" किया गया है, का पालन किया जाने वाला मानदंड एक प्रथम दृष्टया दृश्य है, क्या चूक का कार्य जिसके लिए अभियुक्त पर आरोप लगाया गया था, का उसके कर्तव्यों के निर्वहन के साथ उचित संबंध था। [महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ. बुढ़िकोटा सुब्बाराव देखें]। इसलिए, वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या किया गया कार्य सीधे तौर पर आधिकारिक कर्तव्य से संबंधित है।

10. हमें उक्त परीक्षण को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करना होगा। इस संबंध में, प्राथमिकी में प्रतिवादी संख्या 2 का नाम नहीं होने का तथ्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कथित भूमिका बाद में सामने आई थी। हालाँकि, जो महत्वपूर्ण है वह कथित उल्लंघन में उसे सौंपी गई भूमिका है, अर्थात अपने वरिष्ठों के साथ साजिश करना। इससे जो उभर कर आता है वह यह है कि जहां तक कागजों के प्रसंस्करण का संबंध था, कार्यपालक अधिकारी सुरेंद्र कुमार माथुर ने प्रासंगिक कागजातों पर अपने आद्याक्षर किए थे जो उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में रखे गए थे। इतना ही नहीं, संदीप माथुर, जो कथित लेन–देन का हिस्सा थे, को भी इसी तरह सुरक्षा प्रदान की गई थी। उत्तरदाता संख्या 2 को जो कार्य सौंपा गया था, वह आवंटन, नियमितीकरण, कृषि भूमि के रूपांतरण से संबंधित था और उसके कार्य क्षेत्र के

अंतर्गत आता था। मेघाराम के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए सबसे पहले फाइल कार्यपालक अधिकारी के समक्ष रखी गई, जिन्होंने निरीक्षण का निर्देश दिया और निरीक्षण कनिष्ठ अभियंता द्वारा किया गया और उसके बाद ही नगर आयुक्त ने फाइल पर हस्ताक्षर किए. नतीजा यह हुआ कि फाइल देखने वाले आला अफसरों को सुरक्षा दे दी गई और कागजी काम करने वाले लिपिक को यानी प्रतिवादी नंबर 2 को ट्रायल कोर्ट द्वारा इसी तरह की सुरक्षा से वंचित कर दिया गया है, भले ही आरोप वास्तव में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साजिश रचने का हो। न तो राज्य और न ही शिकायतकर्ता ने इन दो अन्य अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 197 के तहत दी गई सुरक्षा के खिलाफ अपील की।

11. इस प्रकार, हम इस बात की सराहना करने में सक्षम नहीं पाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 को समान संरक्षण क्यों नहीं दिया जाना चाहिए जैसा कि अन्य दो अधिकारियों के मामले में क्रमशः विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। संज्ञान लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति की आवश्यकता होगी और किसी भी अधिकारी के संबंध में कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। इसे देखते हुए अन्य दो अधिकारियों के संबंध में कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था और वर्तमान मामले में भी उच्च न्यायालय ने यही निर्देश दिया है।

12. उपरोक्त के मद्देनजर, अपीलों को खारिज किया जाता है । पक्षकार अपना खर्चा स्वयं वहन करें ।

... . जे
[संजय किशन कौल]
... . जे
[हेमंत गुप्ता]

नयी दिल्ली।
जुलाई 23, 2021

(Translation has been done through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.